

राजस्व अपील प्राधिकारी, जयपुर


तारीख हुक्म	रामजीलाल बनाम रामकृष्ण हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
-------------	---	--


16/02/2025

पत्रावली प्रस्तुत हुई। अधिवक्ता उभयपक्ष उपस्थित अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी। पत्रावली वास्ते निर्णय हेतु दिनांक 04/03/2026 को पेश हो।

04/03/2026

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सक्षम में तथ्य प्रकरण इस प्रकार है कि रेस्पो. संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक वाद बाबत तकाममा एवं स्थायी निषेधाज्ञा का पेश किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2024 पारित करते हुये तहसीलदार चाकसू को विवादित आराजीयात खाता संख्या 607 के खसरा नम्बर 177, 178, 179, 180 कुल किता 04 कुल रकबा 1.11 हैक्टेयर बाके ग्राम कौथून पटवार हल्का कौथून, तहसील चाकसू का मौका कमिश्नर नियुक्त किया जाकर वादी के डाक खर्चे पर प्रतिवादीगणों को लिखित को लिखित सूचना देते हुए उपयुक्त विवादित विवादित आराजीयात का मौका कमिश्नर आवश्यक रूप से कुर्रेजात रिपोर्ट तैयार किये जाने के निर्देश प्रदान किये गये। जिससे व्यथित होकर प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2024 के विरुद्ध यह अपील इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी है। जिस पर अधिवक्ता उभयपक्ष की मौखिक बहस पत्रावली पर सुनी गयी।


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर



अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर गौर किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। उद्धरित तथ्यों के परिपेक्ष्य में अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का मय अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री अवलोकन किये जाने से यह जाहिर होता है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विभाजन के वाद में सहखातेदारान के मध्य विभाजन हेतु कुर्रेजात तलब किये जाने हेतु अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री पारी किये गये है। जिसमे कोई तथ्यात्मक एवं विधिक त्रुटी प्रतीत नहीं होती है। सहखातेदारान के मध्य विभाजन एक अनिवार्य एवं आवश्यक प्रक्रियां है, जिसे तकनीकी बिन्दुओ के आधार पर लम्बित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है एवं अपीलार्थी द्वारा तकनीकी बिन्दुओ को उद्धरित करते हुये अपीलाधीन प्राथमिक डिक्री को अपील के माध्यम से निरस्त करवाये जाने का अनुतोष चाहा गया है, जिसे स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन प्राथमिक निर्णय व डिक्री दिनांक 28/11/2024 यथावत रखे जाकर अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

पत्रावली फैसल शमांर होकर बाद तामाल तकमील दाखिल दफ्तर हा

निर्णय आज दिनांक 04/03/2026 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


 राजस्व अपील प्राधिकारी
 जयपुर